

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

काना पुडु कुन्ना पुडु जाति मारि बनाम (1) अ.प. जरिये लक्ष्मण गोलिया
 नि. मगासर गोलिया जैतमाल (2) विफावा अरधिकारी गुडामालानी
 गुडामालानी (3) लहलीलदर गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व 1715 अधि. मुकदमा नम्बर 29/19

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 15/2/19 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>राजजीवन विश्नेव</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 178, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू0-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/3/19 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। अदालत पक्षकारान उपस्थित। श्री. अ. महोदय दीगर आयुक्त को व्यस्त है। अतः इस्तया होकर पत्रावली आइन्दा 29/3/19 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर SDO गुडामालानी</p> | |
| 5/4/19 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। अदालत पक्षकारान उपस्थित। श्री. अ. महोदय दीगर आयुक्त को व्यस्त है। अतः इस्तया होकर पत्रावली आइन्दा 10/4/19 को पेश हो।</p> | |



| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|----------------|--|
| 20/11/20 | पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 11/12/20 को पेश हो । |
| 11/12/20 | पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 18/1/21 को पेश हो । |
| 18/1/21 | पत्रावली आज पेश हुई । वकील वादगिण उपस्थित वकील वादगिण उत्तरवादिगिण के सम्मन शर्ति डाक से उपस्थित शर्तिके पेश करके आइन्दा दिनांक 26/2/21 को पेश हो । <div style="text-align: center;"> ↓ सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी </div> |
| 26/2/21 | पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी सहोदय बाहर है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 23/4/21 को पेश हो । |
| 23/4/21 | पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 6/8/21 को पेश हो । |
| 6/8/21 | पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इस्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 36/9/21 को पेश हो । |
| 8/2/21 | पत्रावली का प्रसारण गांव के वीर विभाग के मय गोलिया जेलमाल पेश हुई वकील वादगिण उत्तरवादिगिण वकील वादगिण द्वारा जिम्मेदार किया कि वे इस्तवा करके गुलाम नर/प्राप्त हो तदनुसार गुडामालानी की दिनांक 3 कि लख का विभाग वकील पुरानी केवल सफ्त पर किया गांव के विभाग वकील का वादगिण कर रकडित किया जाता है पत्रावली विधि सुगर होकर जखिल इफ्तार हो । <div style="text-align: center;"> (Signature) सहायक कलक्टर SDO (गुडामालानी) </div> |

Needs
 Check
 सेवान्त